भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3503
दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को न्यूनतम मजदूरी

3503. श्री अमरा रामः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पदों पर कार्यरत कर्मियों की संख्या सहित स्वीकृत पदों की राज्यवार संख्या कितनी है तथा उन्हें राज्यवार कितना मानदेय दिया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायी करने का विचार रखती है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या समय- सीमा निर्धारित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार राज्यवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो इसे कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): अनुमोदित पद तथा उक्त पदों पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां और सहायिकाएं स्थानीय समुदाय की "मानद कार्यकर्त्रियां" हैं, जो समुदाय की सहायता के लिए बाल देखभाल और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने हेतु स्वेच्छा से आगे आती हैं जिसके लिए उन्हें मानदेय का

भुगतान किया जाता है। भारत सरकार ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 से मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति माह; लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 2,250 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति माह कर दिया है; आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये प्रति माह कर दिया है; तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 250 रुपये तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए 500 रुपये प्रति माह का कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन शुरू किया है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय भी दे रहे हैं जो राज्य दर राज्य अलग-अलग है। विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सहित विभिन्न पहल की गई हैं:

i. पदोन्नति : मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाने हैं तथा पर्यवेक्षकों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं, बशर्ते कि वे अन्य मानदण्डों को पूरा करती हों।

ii. सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं : 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत 2.00 लाख रुपये का जीवन बीमा (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु को शामिल करता है) और 18-59 वर्ष की आयु वर्ग की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 2.00 लाख रुपये (दुर्घटना मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना बीमा प्रदान किया गया है।

iii. राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के अंतर्गत स्वयं को नामांकित कराने के लिए प्रोत्साहित करें, यह योजना वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों हेतु एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

iv. सेवानिवृत्ति तिथि: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को अपनाएं।

v. अंतरिम बजट वित्त वर्ष 2024-25 में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये की वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज देने की घोषणा की गई है।

सरकार ने सभी लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों को नियमित आंगनवाड़ी केन्द्रों में उन्नत करने के आदेश जारी किए हैं। इससे देशभर में इन लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का बोझ साझा करने के लिए एक आंगनवाड़ी सहायिका की नियुक्ति हो जाएगी।

इसके अलावा, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से आईटी प्रणालियों का उपयोग कार्यभार को कम करने के लिए किया गया है जिसके फलस्वरूप आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा तैयार और उपयोग किए जाने वाले ग्यारह में से नौ भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल और स्वचालित हो गए हैं।

(ख) और (ग): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****

अनुलग्नक-I

श्री अमरा राम द्वारा 'आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को न्यूनतम मजदूरी' के संबंध में 21/3/2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3503 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां		आंगनवाड़ी सहायिकाएं	
		स्वीकृत	पदस्थ	स्वीकृत	पदस्थ
1	आंध्र प्रदेश	55770	54908	48933	47772
2	बिहार	115009	112094	115009	103141
3	छत्तीसगढ़	52474	51245	47639	44826
4	गोवा	1262	1224	1262	1207
5	गुजरात	53065	49884	53062	46167
6	हरियाणा	25962	23902	25450	21608
7	हिमाचल प्रदेश	18925	18663	18386	17772
8	जम्मू और कश्मीर	28426	27543	28426	27048
9	झारखंड	38523	37944	35972	35404
10	कर्नाटक	65931	64118	63582	57482
11	केरल	33120	33115	33120	32986
12	मध्य प्रदेश	97329	95953	84659	82169
13	महाराष्ट्र	110486	105023	97475	92911
14	उड़ीसा	74154	73314	74154	64805
15	पंजाब	27314	27075	27314	25040
16	राजस्थान	62020	60874	55816	54679
17	तमिलनाडु	54439	43602	49499	38848
18	तेलंगाना	35700	33789	35700	28166
19	उत्तर प्रदेश	189796	159938	167506	141499
20	उत्तराखंड	20069	19311	20069	13449
21	पश्चिम बंगाल	119481	105575	119481	97989

22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	720	720	720	720
23	चंडीगढ़	450	434	450	444
24	दादरा एवं नगर हवेली/दमन एवं दीव	405	405	405	392
25	लक्षद्वीप	59	59	59	59
26	दिल्ली	10897	10498	10897	10657
27	पुदुचेरी	855	595	855	650
28	अरुणाचल प्रदेश	6225	6225	6225	6225
29	असम	62093	60964	56668	55210
30	मणिपुर	11523	11466	11523	9848
31	मेघालय	5896	5896	4630	4630
32	मिजोरम	2244	2244	2244	2244
33	नागालैंड	3980	3980	3980	3980
34	सिक्किम	1308	1308	1308	1308
35	त्रिपुरा	10145	10131	10145	10131
36	लद्दाख	1173	1143	1173	1125
	कुल	**1397228**	**1315162**	**1313796**	**1182591**

अनुलग्नक-II

श्री अमरा राम द्वारा 'आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को न्यूनतम मजदूरी' के संबंध में 21/3/2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3503 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**	**राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उनके द्वारा अपने स्रोतों से दिए जाने वाले अतिरिक्त प्रोत्साहन/मानदेय (प्रति माह) रुपये में**	
		आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री	**आंगनवाड़ी सहायिका**
1	आंध्र प्रदेश	7000	4750
2	बिहार	2500	1725
3	छत्तीसगढ़	5500	2750
4	गोवा	5500 (0-10 वर्ष का अनुभव), 6000 (10-15 वर्ष का अनुभव), 8000 (15 से 20 वर्ष का अनुभव) 10000 (20-25 वर्ष का अनुभव) और 12000 (25 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)	3000 (0-5 वर्ष का अनुभव), 3500 (5-10 वर्ष का अनुभव), 4000 (10 से 15 वर्ष का अनुभव) 4500 (15-20 वर्ष का अनुभव), 5250 (20 से 25 वर्ष का अनुभव) और 6000 (25 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)
5	गुजरात	5500	3250
6	हरियाणा	9500 (10 वर्ष से अधिक सेवारत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री) 9000 (10 वर्ष से कम सेवा/अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री) 9000 (लघु आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री) 4000 प्ले स्कूलों (उन्नत आंगनवाड़ी केंद्रों) में कार्यरत 4000 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 1000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त भुगतान किया जाता है।	5250

7	हिमाचल प्रदेश	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 5000 एवं लघु आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 2950 रुपये	3100
8	जम्मू और कश्मीर	600	300
9	झारखंड	5000 (मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र) और 6000 लघु आंगनवाड़ी केन्द्र	2500
10	कर्नाटक	6500	4000
11	केरल	5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली को 8000/- रूपये तथा 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली को 8500/- रूपये	5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली को 6250/- रूपये तथा 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली को 6750/- रूपये।
12	मध्य प्रदेश	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 8500 एवं लघु आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3750	4250
13	महाराष्ट्र	5500 (10 वर्ष तक का अनुभव) 5800 (11 से 20 वर्ष का अनुभव), 5900 (21 से 30 वर्ष का अनुभव), 6000 (31 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)	3250 (10 वर्ष तक का अनुभव) 3415 (11 से 20 वर्ष का अनुभव), 3470 (21 से 30 वर्ष का अनुभव), 3525 (31 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)
14	उड़ीसा	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3000 एवं लघु आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 1875 रुपये	1500
15	पंजाब	5000 (प्रति वर्ष 500 रुपये की वृद्धि)	3100 (प्रति वर्ष 250 वेतन वृद्धि)
16	राजस्थान	4554	3036
17	तमिलनाडु	10502	6596
18	तेलंगाना	9150	5550
19	उत्तर प्रदेश	1500	750
20	उत्तराखंड	4800- आंगनवाड़ी केन्द्र और 2750- लघु आंगनवाड़ी केन्द्र	3000

21	पश्चिम बंगाल	3750	4050
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7500	5750
23	चंडीगढ़	3600	1800
24	दादरा एवं नगर हवेली/दमन एवं दीव	1000	600
25	लक्षद्वीप	5500	4750
26	दिल्ली	8220	4560
27	पुदुचेरी	1950	2125
28	अरुणाचल प्रदेश	2000+ 1000 दिनांक 16.01.2024 से प्रभावी	2000+ 1000 दिनांक 16.01.2024 से प्रभावी
29	असम	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए 2000 एवं लघु आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए 1250	1000
30	मणिपुर	1000	600
31	मेघालय	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3000 एवं लघु आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 1500	1000
32	मिजोरम	450	250
33	नागालैंड	0	0
34	सिक्किम	7000	4500
35	त्रिपुरा	5946 (अधिकतम) और 3500 न्यूनतम	4218 (अधिकतम) एवं 2750 (न्यूनतम)
36	लद्दाख	1300	650

****